सप्तदश

बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 30 फाल्गुन, 1944 (श०) / 21 मार्च, 2023 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 03

(1)	मद्य निषेद्य, उत्पाद वं निबंधन विभाग - -	02
(2)	समाज कल्याण विभाग - -	01
	कुल योग --	03

जहरीली शराब की आपूर्ति बंद करना

62. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शराबंदी मामले में 5 लाख व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं पर 01 प्रतिशत से भी कम लोगों के मामले का निष्पादन कर सजा दिलाई गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि लगभग 7 वर्षों से शराबबंदी कानून लागू है परन्तु अब भी राज्य में शराब एवं जहरीली शराब की खुलेआम बिक्री हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शराबंदी में पकड़े गये लोगों की त्वरित सजा दिलाने एवं राज्य में शराब एवं जहरीली शराब की अवैध आपूर्ति बंद करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में अप्रील, 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है जिसका कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से किया जा रहा है । कार्यान्वयन के तहत 1 अप्रील, 2016 से जनवरी, 2023 तक कुल दर्ज अभियोग 5,49,150 (पाँच लाख उन्चास हजार एक सौ पचास) एवं गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या 7,49,410 (सात लाख उन्चास हजार चार सौ दस) है । जब्त प्रदर्श के रूप में अवैध देशी शराब 96,71,499 (छियानवें लाख इक्हत्तर हजार चार सौ निन्यावें) लीटर एवं अवैध विदेशी शराब 1,54,08,440 (एक करोड़ चौवन लाख आठ हजार चार सौ चालीस) लीटर है । इसके अतिरिक्त 86,174 (छियासी हजार एक सौ चौहत्तर) वाहन जब्त किये गये हैं । राज्य में उत्पाद वादों का त्वरित निष्पादन एवं अभियुक्तों को त्वरित सजा दिलाने के लिये 74 अनन्य विशेष न्यायालय (उत्पाद) कार्यरत किया गया है, जिससे उत्पाद वादों में तेजी से सुनवाई कर अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही है । अबतक माननीय न्यायालय द्वारा 1 अप्रील, 2016 से 20 फरवरी, 2023 तक 5,63,022 (पाँच लाख तिरसठ हजार बाईस) वादों में 1,24,797 (एक लाख चौबीस हजार सात सौ संतानवें) वादों का निष्पादन किया गया है, जिसमें 1,23,792 (एक लाख तेईस हजार सात सौ बानवें) वादों में सजा दी गई है, जिसका प्रतिशत 21.98 होता है ।

(2) अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में अप्रील, 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है, जिसका कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से किया जा रहा है । छापेमारी एवं जाँच 24 x 7 की जा रही है । राज्य में 84 चेक पोस्ट स्थापित किया गया है, जिसमें 5 समेकित जाँच चौकी यथा दालकोला-पूर्णियाँ, बलथरी-गोपालगंज, मोहनिया-कैमूर, डोभी-गया एवं रजौली-नवादा प्रमुख है, जहाँ 24 x 7 जाँच की जा रही है । प्रभावकारी छापेमारी के तहत 36 ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त 30 स्वान दस्ता का भी उपयोग किया जा रहा है । राज्य में गंगा नदी एवं सहायक नदियों में लगातार छापामारी एवं गस्ती किया जा रहा है, जिसमें 7 हाई स्पीट बोट, 8 इनफैटेवल बोट तथा 17 डडेन बोट का उपयोग किया जा रहा है । पीने वाले व्यक्तियों को पकड़ने के लिये 1040 ब्रेथ एनालाईजर का उपयोग किया जा रहा है । विभाग द्वारा 4 हैंड हेल्ड स्कैनर का उपयोग किया जा रहा है, जो वाहनों में छुपाये हुये शराब को स्कैन पर पकड़ा जाता है । विभाग में अत्याधुनिक आसूचना केन्द्र स्थापित किया गया है, जिसमें आसूचना प्राप्त होने पर त्वरित छापेमारी की जाती है । पहले जहाँ आसूचना केन्द्र में 40-50 आसूचना प्राप्त होता था, अब ये बढ़कर 300 से 400 हो गया है । दिनांक 12 मार्च, 2018 से 22 फरवरी, 2023 तक आसूचना केन्द्र में 2,24,643 (दो लाख चौबीस हजार छः सौ तेतालीस) शिकायतें प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर 2,23,998 (दो लाख तेईस हजार नौ सौ अंठानवें) छापेमारी की गयी है, जिसमें 9844 (नौ हजार आठ सौ चौवालीस) अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा 21339 (इक्कीस हजार तीन सौ उन्चालिस) छापेमारी में सफलता मिली है ।

उपर्युक्त निरोधात्मक कार्रवाई के साथ-साथ जनजागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़-नाटक, बिजली के खंभे पर आसूचना के लिये टॉल फ्री नम्बर के साथ पोस्टर चिपकाया जा रहा है । हाल ही में पटना हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी वर्गों के महिलायें एवं पुरूष पदाधिकारी शामिल हुये ।

चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और अनुग्रह नारायण सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना के द्वारा संयुक्त रूप से लोगों के सामाजिक-आर्थिक और जीवन स्तर पर शराबबंदी के प्रभाव को सर्वेक्षण कर मई, 2022 में प्रतिवेदन सौंपा गया है, जिसमें निम्नलिखित सकारात्मक तथ्य सामने आये है :--

(i) अधिकांश लोगों ने मद्य निषेध कानून का समर्थन किया है ।

(ii) अधिकांश लोगों का मानना है कि शराबबंदी से मजदूर वर्ग लाभान्वित हुआ है ।

(iii) अधिकांश लोगों का मानना है शराब से बचत का बच्चों की शिक्षा पर व्यय हो रहा है ।

(iv) अधिकांश लोग बचत को पौष्टिक आहार पर व्यय मानते हैं ।

(v) अधिकांश लोगों का मानना है कि स्वास्थ्य पर व्यय की क्षमता में वृद्धि हुई है ।

(vi) अधिकांश शराब छोड़ने वाले अपने परिवार पर पहले से ज्यादा समय दे रहे है ।

(vii) अधिकांश लोगों ने सड़क यात्रा को पहले से ज्यादा सुरक्षित माना है ।

(viii) अधिकांश लोगों का मानना है कि महिलाओं के सम्मान में वृद्धि हुई है और पारिवारिक निर्णय में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है ।

(ix) अधिकांश लोगों का मत है कि महिला को अकेले बाजार भ्रमण में पहले से ज्यादा स्वतंत्रता है ।

इसके अतिरिक्त चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (पंचायती राज चेयर), पटना एवं जीविका द्वारा संयुक्त रूप से "शराबबंदी के 7 वर्ष एक सर्वेक्षण" कराया गया, जिसका प्रतिवेदन फरवरी, 2023 में प्राप्त हुआ है जिसमें निम्नलिखित सकारात्मक तथ्य सामने आये है ।

कुल सर्वेक्षित 10,22,467 (दस लाख बाईस हजार चार सौ सरसठ) व्यक्तियों में से 99 प्रतिशत महिलाओं ने एवं 96 प्रतिशत पुरूषों ने शराबबंदी के पक्ष में अपनी मनसा व्यक्त की है ।

स्पष्ट है मद्य निषेध नीति का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

(3) उपर्युक्त कंडिका (1) एवं (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

जमीन का एक समान वर्गीकरण

63. श्री देवेश कान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में जमीनों का वर्गीकरण एक समान नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कुछ जिलों में जमीन 6 से 8 श्रेणियों में तो कुछ में 15 श्रेणियों में वर्गीकृत है, जिससे सरकार को राजस्व की भी हानि होती है तथा जमीन मालिकों को भी एक समान कीमत नहीं मिल पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य की असमान वर्गीकृत जमीन को एक समान करने एवं वर्गीकरण की संख्या कम करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैट्री चालित गाड़ी देना

64. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिव्यांगजनों को दस हजार बैट्री चालित मोटराइन्ड तिपहिया देने का लक्ष्य था, जबकि सरकार द्वारा केवल 2400 ही गाड़ी बाँटी गई है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लक्ष्य के अनुरूप दिव्यांगजनों को बैट्री चालित मोटराइन्ड तिपहिया गाड़ी देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 21 मार्च, 2023 (ई0) ।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0, 97(एल0ए0), 2022-23-डी0टी0पी0-550